संख्या-03/2022/3232/26-3-2021/40(विविध)/2017

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 04 जनवरी 2022

विषय:- **वनबन्धु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लोगों को लघुवन उपजों के सम्बन्ध में विशेष प्रशिक्षण तथा सहयोग दिये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-243 ज0जा0वि0/2021-22 दिनांक-08.11.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्यक विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-02-796-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0110-वनबन्धु कल्याण योजना (केन्द्रांश 100 प्रतिशत)-20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) मद में लघुवन उपजों के सम्बन्ध में विशेष प्रशिक्षण तथा सहायोग दिये जाने हेतु धनराशि रू0 21,21,740/(रू0 इक्कीस लाख इक्कीस हजार सात सौ चालीस मात्र) की स्वीकृति निम्न विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	पदनाम	मूल मानदेय प्रतिमाह	मानदेय (ई.पी.एफ./ई.एस.आई. सहित)	पदों की संख्या	जनपद	मानदेय (ई.पी.एफ./ई.एस.आई. सहित) 04 माह हेतु धनराशि (रू0 में)
1.	सीनियर प्रोजेक्ट एसोशिसट (डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एसोसिएट)	25000	29187	3	1–पद ललितपुर, 1–पद सोनभद्र एवं 1 पद मुख्यालय	3,50,250.00
2.	सोशल वर्कर (ब्लाक प्रोग्राम एसोसिएट)	18000	21015	2	1–पद ललितपुर, 1–पद सोनभद्र	1,68,120.00
3.	कम्प्यूटर आपरेटर	18000	21015	3	1–पद ललितपुर, 1–पद सोनभद्र एवं 1 पद मुख्यालय	2,52,180.00
	योग–			**08**		**7,70,550.00**
	उक्त कार्मिकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने पर नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं सेवाकर हेतु अनुमानित धनराशि					**2,02,347.00**
	वर्कसेटप (स्टेंशनरी, कम्प्यूटर साफ्टवेयर/हार्डवेयर आदि)					4,60,000.00
	विविध (विविध) वर्कशाप/बैठक/प्रशिक्षण					4,38,843.00
	यात्रा आदि					2,50,000.00
	कुल योग–					**21,21,740.00**

(रूपये इक्कीस लाख इक्कीस हजार सात सौ चालीस मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1)- उक्त प्रस्तावित पदों पर कार्मिक जेम पोर्टल के माध्यम से चयनित सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से रखे जायेंगे।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(4)- गत वर्ष में स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक प्रगति की सूचना के साथ उपभोग प्रमाण-पत्र यथासमय शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(7)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस- 2021-231/2021 दिनांक-22 मार्च 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशां का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0110-वनबन्धु कल्याण योजना (केन्द्रांश 100 प्रतिशत)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-4-3417/दस-2021-22, दिनांक-31.12.2021 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0संख्या-03/2022/3232(1)/26-3-2021-40(विविध)/2017,तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज।

2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

7- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, ललितपुर एवं सोनभद्र।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।